संख्या- 44 / 192 /चार-2015- 39(बजट)/2014

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में " मजदूरी" मद में पुनर्विनियोग की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1021/उ0प्र0सं0नि0-2(1)/2012-12, दिनांक 06 जनवरी,2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन, महंगाई भत्ता , विद्युत देय, किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व , प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगगिक व्यय तथा वर्दी व्यय हेतु प्राविधानित तथा शासनादेश संख्या- 883/चार-2014-83(बजट)/06 टीसी-2, दिनांक 04 अप्रैल,2014 तथा शासनादेश संख्या- 1554/चार-2014-83(बजट)/06 टीसी-2, दिनांक 04 अगस्त, 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत रू0 12,11,000/- (रूपये बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि उ0प्र0 संग्रहालय में कार्यरत नियत वेतन कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु मानक मद "02-मजदूरी" में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- निदेशक, संग्रहालय निदेशालय के पत्र संख्या- 1345/उ0प्र0सं0नि0-2(1)/2012-13 दिनांक 18 मार्च,2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव /सूचना के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहालय निदेशालय तथा अधीनस्थ संग्रहालयों में नियत वेतन पर कार्यरत कुल 17 कार्मिकों को नियत वेतन (जिसमें मॅहगाई भत्ता शामिल न हो) के रूप में धनराशि रू0 6,82,929/- (रूपया छः लाख बयासी हजार नौ सौ उन्नतीस मात्र) का ही भुगतान किया जाना है। अतः पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 12.11 लाख में से उक्त धनराशि रू0 6,82,929/- व्यय होने के उपरान्त अवशेष धनराशि यथा समय वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक /पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदो अथवा व्यय की नई मदो पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह

http://shasanadesh.up.nic.in

भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय -02- मजदूरी के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-135 /दस-2015,दिनांक 26 मार्च,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या- 44 / 195 (1)/चार-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम,/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)

पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2205- कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर					
107- संग्रहालय					
03- अधिष्ठान व्यय					
01-वेतन	38589	84	84	84	38505
03-महगॉई भत्ता	40518	658	658	658	39860
09-विद्युत देय	4535	255	255	255	4280
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	482	79	79	79	403
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	300	50	50	50	250
51-वर्दी व्यय	85	85	85	85	0
	84509	1211	1211	1211	83298

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2205- कला एवं संस्कृति -आयोजनेत्तर 107- संग्रहालय 03- अधिष्ठान व्यय 02-मजदूरी	1550	2761	1211	1211	2761
योग	1550	2761	1211	1211	2761

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई-310 (1)/ई-7-135 /दस-2015**
दिनांक 27 -2-2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।
संस्कृति विभाग

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 44 / 195 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in